

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल -dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 359

दिनांक :- 21/02/19

आदेश

नगर पालिका, केकड़ी में अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण अनाधिकृत रूपान्तरण की शिकायतों की जांच हेतु निम्न अधिकारी/कर्मचारियों को लगाया जाता है :-

1. श्री राजपाल चौधरी, उप नगर नियोजक, निदेशालय।
2. श्री इन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रारूपकार, निदेशालय।
3. श्री फव्वाद अख्तर, अरबन प्लानर, निदेशालय।

अतः अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केकड़ी को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त जांच टीम को उनके द्वारा चाहे गये व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करावे एवं सम्बन्धित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों को मौका निरीक्षण में टीम को सहयोग करने हेतु पाबन्द करें साथ ही जांच करने हेतु की गई यात्रा तथा विडियोग्राफी/फोटोग्राफी का व्यय नगर पालिका, केकड़ी से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 21/02/19

क्रमांक :- 366 - 367

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. श्री राजपाल चौधरी, उप नगर नियोजक, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त जांच रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।
4. श्री इन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रारूपकार, निदेशालय।
5. श्री फव्वाद अख्तर, अरबन प्लानर, निदेशालय।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, केकड़ी।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ० प्रीति सिंह पंवार)

सहायक निदेशक (सतर्कता)